प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 01.03.2025

क्राईम ब्रॉन्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अन्तर्राज्यीय पारदी गैंग (मध्यप्रदेश) का 01 शातिर वाँछित / 50 हजार रूपये का ईनामी अपराधी गिरफ्तार

दिनांकः 10/01/2024 को सोनू वर्मा पुत्र हरदुआरी लाल निवासी उत्तराँचल कालोनी थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद की सोने चादी के आभूषणों की दुकान जो बन्द फाटक राम विहार मार्केट बेहटा हाजिपुर लोनी बॉर्डर मे स्थित थी, का रात्रि मे शटर तोडकर अज्ञात बदमाशों द्वारा सोने व चाँदी के आभूषण आदि चोरी कर लिये गये थे। क्राईम ब्रान्च व थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनाँक- 31/01/24 को उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए पारदी गैंग के 10 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड गिरफ्तार किया गया था जिनके कब्जे से उपरोक्त चोरी का काफी माल बरामद हुआ था तथा उक्त चोरी में ही पारदी गिरोह के वाछित / 50-50 हजार रूपये के पुरूस्कार घोषित दो अन्य अभियुक्तों को क्राईम ब्रान्च द्वारा दिनाँक-30/09/2024 को गिरफ्तार किया गया था।

उपरोक्त घटना में अन्तर्राज्यीय पारदी गिरोह का शातिर अपराधी दीपक पारदी वाँछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा दिनाँक-18/05/2024 को 50,000 हजार रूपये का नगद पुरूस्कार घोषित किया गया था। उपरोक्त शातिर अपराधी दीपक पारदी को क्राईम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा दिनाँक-28/02/02025 को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार करने मे महत्तवपूर्ण सफलता हासिल की गयी है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ पर अभियुक्त दीपक पारदी ने बताया कि वह कक्षा 09 तक पढा है तथा पारदी जनजाति मध्यप्रदेश का रहने वाला है। दीपक तथा उसके साथी गैंग बनाकर भारत के विभिन्न राज्यों में चोरी/लूट/डकैती आदि की घटनांऐ करते है। इन लोगो को जहां घटना कारित करनी होती है पहले वहां जाकर गली-गली बाजारो मोहल्लो में खिलौने/गुलदस्ते आदि की फेरी का काम करते है। फेरी करने के लिए इसके गैंग के सदस्य दिन में गुब्बारे, गुलदस्ते व खिलौने आदि लेकर फेरी करते है फेरी करते हुए यह चिन्हित कर लेते है कि किस मकान या दुकान में आसानी से घटना कर सकते है फिर रात में इसके गैंग के अन्य लोग असलहे, सरिये, आला नकब डन्डे आदि लेकर रेकी किये हुए दुकान / मकान से कुछ दूर रूक जाते है फिर गिरोह के कुछ साथी पहले एक बार और जाकर मौके पर देखकर आते है कि पुलिस या अन्य कोई बाधा तो नही है रास्ता साफ देखकर इसके गिरोह के लोग एक साथ जाकर दुकान / मकान का शटर या दरवाजा तोडकर अन्दर घुस जाते है। इसके गिरोह के कुछ साथी दुकानों / घरों के बाहर रहते है और डंडा और गुलेल लेकर जो कुत्ते आदि भौकते है उन्हे मारकर भगा देते है और बाहर से नजर रखते है। चोरी के दौरान यदि कोई व्यक्ति आ जाता है या विरोध करता है तो उसको इनके पास मौजूद असलहा दिखा कर डराकर व उनके साथ मारपीट कर चुप करा देते है और जो भी कीमती सामान जैसे सोना- चांदी, जेवरात नकदी आदि मिलता है लेकर भाग जाते है और उसी समय वह राज्य छोड देते है। दीपक का गाँव मध्यप्रदेश राज्य के गुना जनपद में काफी अन्दर पिछडे एरिये में है। दीपक पारदी ने यह भी बताया कि पारदी जनजाति के लोग घटना करने से पहले रेलवे स्टेशन/ बस स्टैण्ड के आस पास रूकते हैं और घटना करने के बाद ट्रेन या बस से भाग जाते हैं। पिछले साल जनवरी माह मे इनके गिरोह ने शाहदरा रेलवे स्टेशन से पैदल पैदल जाकर लाईन के किनारे एक सुनार की दुकान के ताले व शटर तोडकर अन्दर घुसकर चोरी की थी जिसमें इनके गिरोह के 16 सदस्य गैंग के मुखिया परशुराम सहित गिरफ्तार किये जा चुके है। उस चोरी की घटना में दीपक भी मौजूद था। दीपक ने यह भी बताया कि चोरी में मिले माल को हम लोग आपस में बराबर-बराबर बाँट लिया था। हमारे गिरोह के लोग जब भी कोई घटना करते है तो घटना वाले स्थान की रैकी करने वाले सदस्य को 02 हिस्से देते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.दीपक पारदी उर्फ दीपडी पुत्र जानकीलाल उर्फ जान्या निवासी ग्राम बीलाखेडी थाना धरनावदा जिला गुना मध्य प्रदेश उम्र करीब 24 वर्ष

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त दीपक पारदी उर्फ दीपडी के विरूद्ध मध्यप्रदेश मे 04, राजस्थान मे 01 तथा गाजियाबाद में 01 कुल 06 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा नाबालिग छात्रा के साथ ट्यूशन पढ़ाने के दौरान अश्लील हरकत कर छेड़खानी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 28.02.2025 को थाना टीलामोड़ पर वादी द्वारा लिखित तहरीर वादी की पुत्री के साथ छेड़खानी व फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लेकमेल करने के सम्बन्ध में बताया जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा धारा - 354(ख)/504/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 28.02.2025 को ही थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा नाबालिग छात्रा के साथ ट्यूशन पढ़ाने के दौरान अश्लील हरकत कर छेड़खानी करने वाला 01 अभियुक्त वैभव शर्मा पुत्र सतीश चन्द शर्मा निवासी एक्स 1001 ओक्सी होम थाना टीलामोड़ गाजियाबाद मूल पता बी/185 शास्त्री नगर थाना मेडीकल मेरठ उम्र करीब 38 वर्ष को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त वैभव शर्मा पुत्र सतीश चन्द शर्मा उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त वैभव शर्मा पुत्र सतीश चन्द शर्मा उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त से उसकी पत्नी के साथ तलाक हो चुका है तथा लगभग 09 वर्ष का बच्चा है। अभियुक्त उपरोक्त ट्यूशन पढ़ाने के दौरान वादी की पुत्री के सम्पर्क में आया और ट्यूशन पढ़ाने के दौरान अभियुक्त उपरोक्त से गलती हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-
वैभव शर्मा पुत्र सतीश चन्द शर्मा निवासी एक्स 1001 ओक्सी होम थाना टीलामोड़ गाजियाबाद मूल पता बी/185 शास्त्री नगर थाना मेडीकल मेरठ उम्र करीब 38 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-
गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।

सहायक पुलिस आयुक्त, शालीमार गार्डन व थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा सर्च एवं रेस्क्यू अभियान के दौरान बुध बाजार रोड़ 150 फुटा थाना शालीमार गार्डन के बिल्डिंग न0 755 एक्सटेंशन गेट न0 10 के अन्दर भूतल में चल रहे अनैतिक देह व्यापार में 02 पीड़ित महिलाओं को रेस्क्यू किया गया तथा अनैतिक देह व्यापार में सम्मलित 05 अभियुक्तगण(ग्राहक) व 01 अभियुक्ता(संचालिका/मैंनेजर) गिरफ्तार, कब्जे से 07 मोबाइल फोन, नगद 5,260/-रुपये व आपत्तिजनक सामग्री बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 28.02.2025 को सहायक पुलिस आयुक्त, शालीमार गार्डन व थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा सर्च एवं रेस्क्यू अभियान के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि बुध बाजार रोड़ 150 फुटा थाना शालीमार गार्डन के बिल्डिंग न0 755 एक्सटेंशन गेट न0 10 के अन्दर भूतल में अनैतिक देह व्यापार का कारोबार किया जा रहा है।

जिसमें भोली-भाली गरीब महिलाओं को बहला फुसलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए सहायक पुलिस आयुक्त, शालीमार गार्डन व थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा बिल्डिंग न0 755 एक्सटेंशन गेट न0 10 के अन्दर भूतल में चल रहे अनैतिक देह व्यापार में 02 पीड़ित महिलाओं को रेस्कयू किया गया तथा अनैतिक देह व्यापार में सम्मलित 05 अभियुक्तगण(ग्राहक) 1. सलीम पुत्र अली हसन निवासी-सी-99 गली न0 10 गावडी एक्सटैंशन उस्मानपुर शाहदरा दिल्ली 110094 उम्र करीब 35 वर्ष, 2. सुशील कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार निवासी हाल पता गोकुलपुर गाँव यूनियन बैंक वाली गली लोनी गोल चक्कर के पास थाना लोनी गाजियाबाद मूल पता बिठूर गाँव जिला कानपुर नगर उम्र करीब 27 वर्ष, 3. प्रांजुल कनौजिया पुत्र विजय मान सिंह निवासी हाल पता गोकुलपुर गाँव यूनियन बैंक वाली गली लोनी गोल चक्कर के पास थाना लोनी गाजियाबाद गाजियाबाद मूल पता बिठूर गाँव जिला कानपुर नगर उम्र करीब 26 वर्ष, 4. विवेक तोमर पुत्र अजीत तोमर सिंह निवासी हाल पता गोकुलपुर गाँव यूनियन बैंक वाली गली लोनी गोल चक्कर के पास थाना लोनी गाजियाबाद गाजियाबाद मूल पता बिठूर गाँव जिला कानपुर नगर उम्र करीब 26 वर्ष व 5. मौ0 नसीम पुत्र इस्लाम खां हाल पता एफ-11 नई सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली मूल पता गाँव इकरोली तहसील बडौत जिला बागपत उम्र करीब 42 वर्ष व 01 अभियुक्ता(संचालिका/मैंनेजर) को 07 मोबाइल फोन, नगद 5,260/-रुपये व आपत्तिजनक सामग्री सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण/अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 3/4/5/6 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पुछताछ का विवरण:-</u>गिरफ्तार अभियुक्तगण/अभियुक्ता उपरोक्त व पीड़ित महिलाओं से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि महिला संचालिक द्वारा किराए पर लिए गए फ्लैट में अनैतिक कमाई करने के लालच से रैस्क्यू महिलाओं से अनैतिक देह व्यापार कराकर ग्राहकों से पैसे लिये जाते है, संचालिका द्वारा महिलाओं को काम दिलाने व पैसों का लालच देकर बहला फुसलाकर प्रतिदिन अनैतिक देह व्यापार कराया जा रहा था। इस कार्य को करने में ग्राहकों से भारी धनराशि लेकर कुछ रुपये महिलाओं को भरण पोषण हेतु दिया जाता था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण/अभियुक्ता का नाम व पता:-</u>

1. सलीम पुत्र अली हसन निवासी-सी-99, गली न0 10 गावडी एक्सटैंशन उस्मानपुर शाहदरा दिल्ली 110094 उम्र करीब 35 वर्ष (ग्राहक)।
2. सुशील कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार निवासी हाल पता गोकुलपुर गाँव यूनियन बैंक वाली गली लोनी गोल चक्कर के पास थाना लोनी गाजियाबाद मूल पता बिठूर गाँव जिला कानपुर नगर उम्र करीब 27 वर्ष (ग्राहक)।
3. प्रांजुल कनौजिया पुत्र विजय मान सिंह निवासी हाल पता गोकुलपुर गाँव यूनियन बैंक वाली गली लोनी गोल चक्कर के पास थाना लोनी गाजियाबाद गाजियाबाद मूल पता बिठूर गाँव जिला कानपुर नगर उम्र करीब 26 वर्ष (ग्राहक)।
4. विवेक तोमर पुत्र अजीत तोमर सिंह निवासी हाल पता गोकुलपुर गाँव यूनियन बैंक वाली गली लोनी गोल चक्कर के पास थाना लोनी गाजियाबाद गाजियाबाद मूल पता बिठूर गाँव जिला कानपुर नगर उम्र करीब 26 वर्ष (ग्राहक)।
5. मौ0 नसीम पुत्र इस्लाम खां हाल पता एफ-11 नई सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली मूल पता गाँव इकरोली तहसील बडौत जिला बागपत उम्र करीब 42 वर्ष (ग्राहक)।
6. 01 अभियुक्ता (संचालिका/मैंनेजर)

<u>बरामदगी का विवरण:-</u>

- 07 मोबाइल फोन, नगद 5,260/-रुपये व आपत्तिजनक सामग्री बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्तगण/अभियुक्ता (संचालिका/मैंनेजर) उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

सहायक पुलिस आयुक्त, शालीमार गार्डन व थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा चोरी करने वाले 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार। कब्जे से एक स्विफ्ट कार बिना नम्बर व कार में रखा एक चोरी का जनरेटर का अल्टीनेटर, 02 चाकू, एक दाव एवं एक रेती लोहे की बरामद।

आज दिनांक 01.03.2025 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गण 1. शाहरुख पु अब्दुल गफ्फार 2. फिरोज पुत्र इरफान निवासीगण ग्राम शेखपुर खिचरा तहसील व थाना धौलाना जनपद हापुड़ को कम्पोजिट विद्यालय उस्मान कॉलोनी डासना के पास से गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से बिना नम्बर स्विफ्ट कार, एक चोरी का जनरेटर का अल्टीनेटर, 02 चाकू, 01 दाव एवं एक लोहे की रेती बरामद हुई। उपरोक्त संबंध में अभियुक्तगणों के विरूद्ध सुसंगत धारा-317(2)/345(3) बीएनएस व 4/25 आयुध अधि0 में अभियोग पंजीकृत किया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ पर अभियुक्तगण शाहरुख व फिरोज ने बताया कि हम दोनों मौका पाकर चोरी कर लेते हैं, हमने इस अल्टीनेटर को कस्बा खिचरा धौलाना जनपद हापुड़ से चोरी किया था। आज हम लोग इस अल्टीनेटर को बेचने के लिए दिल्ली जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गए।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम/पताः-

1. शाहरुख पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी ग्राम शेखपुर खिचरा थाना धौलाना जनपद हापुड़, उम्र 24 वर्ष
2. फिरोज पुत्र इरफान निवासी शेखपुर खिचरा थाना धौलाना जनपद हापुड़, उम्र 23 वर्ष

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त शाहरुख के विरूद्ध थाना धौलाना जनपद हापुड में चोरी, गौवध, गैंगस्टर एक्ट, आयुध अधि0 के 07 मुकदमे पंजीकृत हैं। तथा अभियुक्त फिरोज के विरूद्ध थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद में चोरी का 01 तथा धौलाना हापुड में चोरी के 02 मुकदमे पंजीकृत हैं।

बरामदगी का विवरणः-

1. घटना में प्रयुक्त बिना नम्बर स्विफ्ट कार
2. चोरी का अल्टीनेटर
3. 02 चाकू एवं एक अदद दाव
4. एक लोहे की रेती

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम